न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

| तारीख हुक्म | हरिसिंह बनाम केनरीदेवी वगै<br>हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज<br>दावा मु.नं. - 31/2023 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10.07.2023 | पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थितं। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 21.07.2023 को पेश हो।<br><br>( दिलीप सिंह )<br>उपखण्ड अधिकारी<br>श्रीमाधोपुर (सीकर)<br>दिलीप सिंह<br>उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर | |
| 21.07.2023 | पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>21/07/23<br>( दिलीप सिंह )<br>उपखण्ड अधिकारी<br>श्रीमाधोपुर (सीकर)<br>दिलीप सिंह<br>उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 17:09:13 IST
Reason: SelfAttested

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान**
**पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)**

| प्रकरण संख्या | जीसीएमएस | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 31 / 2023 | 2023 / 156 | 16.03.2023 | 21.07.2023 |

## उनवान प्रकरण

1. हरिसिंह पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी ढाणी स्वामी की तन् ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)।

––वादी––

**बनाम्**

1. केशरी देवी पत्नी हणमान जाति जाट निवासी ढाणी स्वामी की तन् ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2. मंजू देवी पुत्री हणमान पत्नी प्रकाश जाति जाट निवासी ढाणी स्वामी की तन् ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल ससुराल घाटमदास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
3. मुरली देवी पुत्री हणमान पत्नी बद्रीराम जाति जाट निवासी ढाणी स्वामी की तन् ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल ससुराल आसपुरा श्रीमाधोपुर जिला सीकर
4. केलाशचन्द पुत्र हणमान
5. झाबरमल पुत्र हणमान
6. भागीरथ पुत्र हणमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 17:09:13 IST
Reason: SelfAttested

21/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी स्वामी की तन् ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

7 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित:—

श्री कानाराम पूनियां, एड0 वादी अभिभाषक।
श्री जितेन्द्र कुमार गौड़, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 7 की ओर सें।

**वादपत्र बाबत घोषणा, दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड एवं तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा**
**अंतर्गत धारा 88, 188**
**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 653, 654 कुल किता 2 कुल रकबा 1.10 हैक्टर तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। जिसकी खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के नाम से गलत अंकित चली आ रही हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 एक ही परिवार खानदान के हैं। वादी के पिता छोटूराम एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के पिता/पति हणमान एक ही परिवार खानदान के होकर आपस में सगे भाई थे तथा हीराराम के पुत्र वादी के पिता छोटूराम एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 के पिता हणमान हुये जिनमे मनाराम, जयराम व नारायण के वारिस अन्य जमीनो पर काबिज काश्त है तथा उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण 1/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 17:09:13 IST
Reason: SelfAttested

21/07/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है लेकिन हणमान कर्ता खानदान होने के कारण उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के पिता हणमान परिवार के कर्ता खानदान था तथा समस्त प्रकार के राजकीय कार्य वही सम्पादित करवाता था। इसलिये पर्चा सैटलमेन्ट के दौरान उक्त भूमि की सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी उक्त हणमान के नाम से दर्ज हो गयी जबकि उक्त भूमि में वादी के पिता छोटूराम का 1/2 हिस्सा था तथा वक्त बुजुर्गान से दोनो भाई छोटू एवं हणमान अपने-अपने 1/2, 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् अब वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादग्रस्त भूमि का मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपस में बाह्मी बंटवारा कर रखा है। जिसके अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 653 रकबा 0.54 हैक्टर सम्पूर्ण तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। उक्त भूमि वादी के हिस्से व अधिकार में बाह्मी बंटवारे के अनुसार आयी हुयी है अपने हक हिस्से व अधिकार में आयी अपनी भूमियों में अलग से सींवनींव कायम कर अलग से सीमाओं से सुरक्षित कर रखा है तथा वर्तमान स्वरूप में भूमियों को विकसित कर उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है। जिसमें किसी भी प्रकार की दखल एवं खलल करने की कानूनी अधिकार प्रतिवादीगण को नही है, ना ही भूमि को खुर्द-बुर्द, रहन, व्ययन करने के कानूनी अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त हैं तथा ना ही नींव सींव को तोडकर भूमियों पर जबरन कब्जा करने के अधिकार प्रतिवादीगण को संयुक्त खातेदारी की आड में प्राप्त है। वादी अपनी भूमियों की खातेदारी बाह्मी बंटवारा के अनुसार भी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से अलग से दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी हैं। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 654 रकबा 0.56 हैक्टर तन् ग्राम डेरावाली पटवारी हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर मृत्तक हणमान के हिस्से में आयी हुयी थी जि[illegible] होने पर उसके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 के [illegible] हुयी हैं। लेकिन प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता [illegible] करने के पश्चात् उक्त भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 6 के हक हिस्से में [illegible] हुयी हैं तथा प्रतिवादी नम्बर 1 मृत्तक हणमान की पत्नी है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 ता 3 मृत्तक हणमान की पुत्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 17:09:13 IST
Reason: SelfAttested

21/07/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

होकर अपने-अपने ससुराल रहती है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 उक्त वर्णित भूमि से कोई ताल्लुक किसी किश्म का नही है। उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे वादी के अलग से नाम दर्ज नही हुयी है। इसके अभाव मे वादी अपनी भूमियों का जो एक खातेदार काश्तकार को सुविधाये उपलब्ध होती हैं। उनको प्राप्त करने के लिये वंचित हो रहा है तथा अपनी भूमियों का समुचित विकास करने में कठिनाईया आ रही है। इसलिये उक्त भूमि की खातेदारी बाहमी बंटवारा के अनुसार वादी के नाम अंकित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हैं। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार वादी के नाम उक्त भूमि की खातेदारी अंकित करवाने बाबत कहने पर प्रतिवादीगण पहले तो हां करते रहे एवं आश्वासन देते रहे परन्तु अब भूमियों की बढती हुयी कीमतो के कारण वादी की भूमियों पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 की गलत नजर हो गयी है। दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाया जावें कृषि भूमि खसरा नम्बर 653, 654 कुल किता 2 कुल रकबा 1.10 हैक्टर तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में वादी को कृषि भूमि खसरा नम्बर 653 रकबा 0.54 हैक्टर तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 सम्पूर्ण का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसमें दर्ज प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 का नाम हजफ फरमाया जाकर अलग खातेदारी दर्ज की जावें। इसी प्रकार खसरा नम्बर 654 रकबा 0.56 हैक्टर तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 का प्रतिवादी नम्बर 4 ता 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 का नाम हजफ किया जावें। वाद वास्ते घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 17:09:13 IST
Reason: SelfAttested

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। वकील वादी ने उपस्थित होकर पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किया। उपस्थित वादी की पहचान वादी

21/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वकील श्री कानाराम पूनिया एड0 ने राजीनामा स्वीकार किया एवं उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की पहचान प्रतिवादीगण वकील श्री जितेन्द्र कुमार गौड एड0 ने की। उपस्थित पक्षकारान को राजीनामा पढकर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान ने सुन व समझकर स्वीकार किए जाने पर राजीनामा बाद तस्दीक शामिल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी हरिसिंह पुत्र छोटुराम का मुख्य परीक्षण में एवं वादी साक्ष्य गवाहान् में हनुमानराम कुडी पुत्र झुंथाराम का लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किया। प्रतिवादी संख्या 7 की तामील असालतन होकर लोटी हैं। बावजूद असालतन तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी सख्या 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील वादी ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का पक्षकारान् प्रतिवादीगण के द्वारा राजीनामा पेश कर दिये जाने से प्रकरण में बहस सुनी जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान बहुपक्षीय सुनी गई।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहुपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2029 से 2032, आधार वर्ष जमाबन्दी सम्वत् 2042, जमाबन्दी सम्वत् 2044 से 2047, 2048 से 2051, 2052 से 2055, 2056 से 2059, 2060 से 2063, 2064 से 2067, 2068 से 2071, 2072 से 2075, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, एंव अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा व साक्ष्य वादी में प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 653, 654 कुल किता 2 कुल रकबा 1.10 हैक्टर के पुराने खसरा नम्बर 211 मिन नम्बर होकर रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा होकर खातेदारी अकेले हनुमान पुत्र ही[illegible] जाट सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। [illegible] 2029 से लगातार 2072–2075 तक हनुमान पुत्र हीराराम के नाम ही च[illegible] आना जमाबन्दी से प्रकट होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 17:09:13 IST
Reason: SelfAttested

21/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

है। हनुमान पुत्र हीराराम के फौत होने पर जरिये विरासत उक्त खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड आना प्रमाणित होता है। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि के नवीन खसरा नम्बरान् की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार है। उक्त पक्षकारान् वादी व प्रतिवादीगण सजरा खानदान अनुसार एक ही परिवार खानदान से होकर पूर्वज हीराराम की संतानें होना प्रकट होता है। हीराराम के पांच पुत्र संताने सजरा खानदान अनुसार होना प्रकट होता है। उक्त भूमि पर वादी एंव प्रतिवादीगण 1/2 – 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त होना वादपत्र में अंकित किया है। हणमान कर्त्ता खानदान होने के कारण उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 6 के पिता हणमान के नाम होना प्रतित होता है। पूर्वज हीराराम के अन्य पुत्रों मंगलाराम, जयराम व नारायण के वारिस अन्य जमीनों पर काबिज काश्त होना वादपत्र में अंकित किया है लेकिन अन्य जमीनों का विस्तृत विवरण वादपत्र में अंकित नहीं किया है। वकील वादी पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा के आधार पर उक्त वादपत्र का निस्तारण करवाना चाहते है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य सह खातेदारी में दर्ज कृषि भूमियो में से 1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## –:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एंव तकास्मा व स्थाई नि[illegible] स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती हैं कि तन ग्राम डूगावाली पटवार [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 653, 654 कुल किता – 2 [illegible] रकबा 1.10 हैक्टर मे से वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 17:09:13 IST
Reason: SelfAttested

21/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

को कृषि भूमि खसरा नम्बर 653 रकबा 0.54 हैक्टर सम्पूर्ण का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बर से प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 का नाम हजफ किया जाता है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 654 रकबा 0.56 हैक्टर तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर का प्रतिवादी नम्बर 4 ता 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बर से प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 का नाम हजफ किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एंव उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें एंव ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

21/07/23
( दिलीप सिंह )
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 17:09:13 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय [illegible] मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/07/23
( दिलीप सिंह )
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)